रजिस्ट्री सं० डी०(डी)—73 REGISTERED No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 22, 1977 (आश्विन 30, 1899)

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 22, 1977 (ASVINA 30, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	573
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1457
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	31
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1163
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2997
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3751
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	515
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	4719
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	869
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	155
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1711
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	173

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	573
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotion, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . .	1457
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence . . .	31
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions Leave etc of Officers issued by the Ministry of Defence	1163
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. ((ii)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . .	2997
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . .	3751
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence . .	515
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	4719
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta . .	869
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .	155
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1711
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .	173

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, 110001 दिनांक 30 सितम्बर 1977

आदेश

सं० 27/8/77-सी० एल० 2.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उप-धारा (1) के खंड (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, कम्पनी रजिस्ट्रार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़, जालन्धर के कार्यालय के वरिष्ठ तकनीकी सहायक श्री रामसिंह को कथित धारा 209क के उद्देश्य के लिये प्राधिकृत करती है।

एन० एल० पिल्लै, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 1977

सं० 10 (2) बी० ओ० III/77.—भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष) की दिनांक 21 जून, 1977 की अधिसूचना संख्या 10 (2) बी० ओ० III/77 के सिलसिले में, सरकार, एक व्यक्ति समिति (बैंकिंग विधि समिति) की अवधि को 31 दिसम्बर, 1977 तक सहर्ष और बढ़ाती है।

जे० सी० राय, निदेशक

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर 1977

संकल्प

सं० 55 (17)/69-उर्वरक-II.—भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का संकल्प संख्या 55 (17) 69-उर्वरक II, दिनांक 3-6-1972 को एतद्द्वारा वापस लिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार के पैट्रोलियम रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के दिनांक 5 अगस्त, 1969 के संकल्प के मद (II) जो 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र के भाग I खंड I के पृष्ठ 627 में प्रकाशित किया गया था, पूर्ववत ही रहेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र खंड 1, भाग I में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जाए।

एम० एम० केलकर, संयुक्त सचिव

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 1977

संकल्प

सं० 21/2/73-सी० डी० एन० :—आयात प्रतिस्थापन की समस्याओं की ओर जनता का अधिकाधिक ध्यान आकर्षित करने तथा देशी प्रतिस्थापों द्वारा आयातित वस्तुओं का प्रतिस्थापन करने सम्बन्धी व्यावहारिक विचारों और योजनाओं को लागू करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को जनता द्वारा मान्यता और पर्याप्त प्रोत्साहन देने के विचार से संकल्प सं० 5/2/66 इण्ड० को आई० दिनांक 12-9-66 द्वारा आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी एक पुरस्कार बोर्ड गठित किया गया था। संकल्प सं० 21/2/83 सी० डी० एन० दिनांक 11-7-74 द्वारा इस पुरस्कार बोर्ड का पुनर्गठन जिसमें एक अध्यक्ष और ग्यारह अन्य सदस्य थे, किया गया था।

बोर्ड के दो सदस्यों श्री ए० पी० वी० कृष्णन और मेजर जनरल के० के० महता के सेवानिवृत्त होने तथा श्री एस० के० महगल के स्थानान्तरण के फलस्वरूप ऊपर बताये गए सदस्यों के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को संकल्प सं० 21/2/73 सी० डी० एन० दिनांक 11-7-74 द्वारा गठित बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है.—

1 श्री एन० राजन,
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
औद्योगिक विकास विभाग,
नई दिल्ली।

2 श्री जी० एन० मेहरा,
संयुक्त सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग,
नई दिल्ली।

3 मेजर जनरल एस० जी० पयारा,
मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान एवं विकास,
प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन,
रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

आदेश

1 आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए।

2 यह भी आदेश दिया कि संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

पी० सी० नायक, संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 1977

संकल्प

सं० एन० 11014/4/77-एसबन्दी.—स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) के 21 जुलाई, 1975 के संकल्प संख्या एन० 13023/13/74 आई० यू० डी० के अधिक्रमण में, भारत सरकार ने क्षेत्रीय कार्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु सरकार को सलाह देने के लिये समिति को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है।

2. पुनर्गठित समिति की संरचना इस प्रकार होगी.—

1. अपर सचिव एवं आयुक्त (परिवार कल्याण)	अध्यक्ष
2 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	सदस्य

3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक — सदस्य
4. भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के महानिदेशक — ''
5. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनेकालोजीकल सोसायटी आफ इण्डिया अथवा उनका प्रतिनिधि — ''
6. अध्यक्ष, भारतीय सर्जन संघ अथवा उनका प्रतिनिधि — ''
7. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन अथवा उनका प्रतिनिधि — ''
8. अध्यक्ष, आल-इण्डिया पेडियाट्रिक्स एसोसियेशन अथवा उनका प्रतिनिधि — ''
9. डा० आर० पी० सोनावाला, नैरोजी वाडिया प्रसूति अस्पताल, आचार्य दाण्डे मार्ग, परेल, बम्बई-400012 — ''
10. डा० सुमन जार्ज, प्राध्यापक, प्रसूति तथा स्त्रीरोग मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम। — ''
11. डा० पी० के० देवी, प्राध्यापक, स्त्रीरोग, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ — ''
12. डा० वी० एन० श्रीखण्डे, बम्बई, नारायण भवन, 166-ए, डा० अम्बेदकर मार्ग, दादर, बम्बई-400014 — ''
13. डा० जमशेद एन० पोहोवालिया, एमीरिटस (बाल-रोग विशेषज्ञ) मैडिकल कालेज, इन्दौर (मध्य प्रदेश) — ''
14. डा० एस० एन० गुप्ता, विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। — ''
15. डा० पी० आर० सोन्धी, निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ। — ''
16. डा० दीवान हरीश चन्द, 1, हनुमान रोड, नई दिल्ली। — ''
17. डा० जुगल किशोर, सलाहकार (हौम्योपैथी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। — ''
18. डा० के० एन० उडप्पा, निदेशक, आयुर्विज्ञान संस्थान, वाराणसी हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी। — ''
19. पंडित शिव शर्मा, अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद, बहारिस्तान, बोमनजी पैटिट रोड, कम्बाला हिल्स, बम्बई-400036 — ''
20. उपायुक्त (टी० ओ०) — सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में सभी समस्याओं, जिसमें प्रशासनिक, संगठनात्मक तथा तकनीकी समस्याओं विशेषकर लूप निवेशन तथा नसबन्दी प्रक्रियाओं, गर्भ के चिकित्सकीय समापन और खायी जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों की समस्याएं भी शामिल हैं, पर विचार करना और सरकार को सलाह देना होगा।

4. समिति को अपनी बैठकों में भाग लेने के लिये संबंधित समस्याओं के विशेषज्ञों को सहयोजित आमंत्रित करने का अधिकार होगा।

5. समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

6. बैठक में भाग लेने पर समिति के गैर-सरकारी सदस्य उसी यात्रा-भत्ते और दैनिक-भत्ते के पात्र होंगे जो केन्द्रीय सेवाओं के प्रथम श्रेणी के सर्वोच्च ग्रेड के अधिकारियों को मिलते हैं। समिति के जो सदस्य सरकारी कर्मचारी है, वे उसी स्रोत से यात्रा-भत्ते और दैनिक-भत्ते लेने के पात्र होंगे जहां से उन्हें वेतन मिलता है।

7. इस पर होने वाला व्यय मांग संख्या 50-परिवार कल्याण, मुख्य शीर्ष 281क परिवार कल्याण, क-1 निदेशक तथा प्रशासन, क-1 (1)-मुख्यालय का तकनीकी पक्ष, क-1 (1) (3) यात्रा व्यय 1977-78 के अन्तर्गत मंजूर किए गए बजट में से पूरा किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है इस संकल्प को आम सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

सरला ग्रेवाल, अपर सचिव
(एवं आयुक्त प० क०)

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1977

सं० 22-17/77-पशुधन-1 —राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के नियम एवं विनियमों के अनुच्छेद 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का तत्काल से पुनर्गठन करने का निर्णय किया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

(1) डा० वी० कुरियन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द — अध्यक्ष
(2) श्री ए० के० राय चौधरी, प्रबंध निदेशक, भारत डेरी निगम, बड़ौदा। — सदस्य
(3) श्री जी० एम० झाला, सचिव, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द। — सदस्य
(4) श्रीमती अन्ना० आर० मल्होत्रा, अपर सचिव (ए० एफ०) कृषि विभाग, नई दिल्ली। — सदस्य
(5) श्री यू० वैद्यनाथन, वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग नई दिल्ली। — सदस्य
(6) श्री एम० एम० दलाया, महाप्रबंधक, कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ आनन्द। — सदस्य
(7) श्री वी० एच० शाह, सदस्य महाप्रबंधक, कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, आनन्द — सदस्य
(8) डा० वी० के० सोनी, उप महाप्रबंधक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली — सदस्य

2. बोर्ड की अवधि 2 वर्ष अथवा आगामी आदेशों तक (इनमें से जो भी पहले हो) होगी।

3. यह इस विभाग की दिनांक 1 सितम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में है।

सं० 22-17-77-पशुधन-1 —राष्ट्रपति भारतीय डेरी निगम लिमिटेड के संगम की नियमावली के अनुच्छेद 15 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय डेरी निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल का तत्काल से पुनर्गठन करते हैं। जिनमें निम्नलिखित सदस्य होंगे —

(1) डा० वी० कुरियन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द। — अध्यक्ष
(2) श्री ए० के० राय चौधरी, प्रबन्ध निदेशक, भारत डेरी निगम, बड़ौदा। — निदेशक
(3) श्री जी० एम० झाला, सचिव, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द — निदेशक

(4) श्रीमती प्रभा० आर० मल्होत्रा, अपर सचिव (ए० एफ०) कृषि विभाग, नई दिल्ली। — निदेशक

(5) श्री यू० वैद्यानाथन, वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, नई दिल्ली — निदेशक

(6) श्री एच० एम० दलाया, महाप्रबंधक, कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, आनन्द — निदेशक

(7) श्री बी० एम० शाह, उप महाप्रबन्धक, कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, आनन्द — सदस्य

(8) डा० बी० के० सोनी, उप महाप्रबंधक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। — सदस्य

2. बोर्ड की अवधि 2 वर्ष अथवा आगामी आदेशों तक (इनमें से जो भी पहले हो) होगी।

3. यह इस विभाग की दिनांक 1 सितम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में है।

आर० सी० सूद, संयुक्त सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 1977

सं० एफ० 12-9/77- आयोजना-II.—भारत सरकार ने सर्व सेवा संघ, सिविल लाइन्स, नागपुर के श्री आर० के० पाटिल को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य के रूप में नामजद किया है। उनकी सदस्यता की अवधि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होगी।

देवव्रत सेनगुप्ता, अवर सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

सीमा पथ विकास बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 1977

संकल्प

सं० 194(21) बी० आर० डी० बी० / बी० डब्ल्यू० ए०/ इकानमी/77 पी० सी०—सीमा सड़क संगठन लगभग 17 वर्षों से कार्य कर रहा है। इस अवधि में इसने नई सड़कों के 6000 कि० मी० से अधिक का निर्माण किया है और मौजूदा सड़कों के 2,000 कि० मी० से अधिक का सुधार किया है। अतः यह आवश्यक है कि इस संगठन के कार्यों की पूरी तरह से समीक्षा की जाय और किसी संगठनात्मक और/अथवा संरचनात्मक परिवर्तन और इसकी ऐसी तकनीकियों में सुधार करने पर विचार किया जाय जो इस संगठन द्वारा अधिक प्रभावी और कुशलता से कार्य करने के लिए आवश्यक हों। अब समय आ गया है कि जब सीमा सड़क संगठन को अपने कार्यों में विविधता लाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। साथ ही साथ, मितव्ययता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन उपायों की जांच करना भी आवश्यक है जो सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गयी और अनुरक्षित सड़कों की लागत कम करने के लिए आवश्यक हो। अतः यह निश्चय किया गया है कि इन प्रश्नों की पूरी तरह से जांच निम्नलिखित ढंग से गठित एक समिति द्वारा की जाय, जो अन्य सिविल कार्यों को प्रतियोगितात्मक दरों पर करने के लिए संगठन को सुसज्जित करने, लागत को कम और कुशलता में वृद्धि करने के लिए उपाय सुझायेगी।

(1) श्री जे० एस० मार्या, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय — अध्यक्ष

(2) श्री बी० के० बनर्जी, अपर वित्त सलाहकार (ख), वित्त मंत्रालय (रक्षा) — सदस्य

(3) मेजर जनरल जे० एम० साइ, महानिदेशक सीमा सड़क — सदस्य

(4) श्री महावीर प्रसाद, चीफ इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ — सदस्य

(5) श्री नागभूषण राव, उप महाप्रबंधक (ए० आई० ओ०) हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि०, बम्बई। — सदस्य

(6) श्री मनीश बहल, सचिव, सीमा पथ विकास बोर्ड — सदस्य

ए० के० अग्रवाल, उप सचिव, सीमा पथ विकास बोर्ड, समिति के सचिव होंगे।

समिति निम्नलिखित बातों की जांच करेगी और रिपोर्ट देगी —

(1) सीमा सड़क संगठन के कार्यों की और रचनात्मक और संगठनात्मक परिवर्तन तथा आवश्यक तकनीकी सुधार बताएगी ताकि संगठन अपना कार्य अधिक कुशलता से कर सके।

(2) 1970-71 में स्थापित समिति द्वारा सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण की लागत पर अभिशंसित अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों जिससे मितव्ययता और निर्माण की लागत कम की जाय, का कार्यान्वियन कहां तक हुआ है, उनका प्रभाव देखने और सुझाव देने के लिये जिनसे निर्माण और अनुरक्षण की लागत कम की जा सके विशेषकर संसाधनों के प्रबन्ध, वस्तु सूची नियन्त्रण, उपस्करों के प्रयोग और रख रखाव तथा प्रशासनिक व्यय में कमी हो।

(3) सीमा सड़क संगठन की सिविल इन्जीनियरी के क्षेत्र में अपने कार्यों को प्रथागत कार्यों में वृद्धि करने की सम्भावना और इस कार्य में इन अन्य एजेंसियों के साथ तुलनात्मक दरों पर इन कार्यों को करने के लिये संगठन को सुसज्जित करने के लिये अपेक्षित उपायों की सिफारिश करना।

समिति को यह अधिकार होगा कि यदि आवश्यक समझा जाय तो अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित करे।

समिति का मुख्यालय नयी दिल्ली में होगा, परन्तु अपने कार्यों के सम्बन्ध में उन स्थानों का दौरा कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

समिति तत्काल कार्य शुरू करेगी और 6 महीनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत भारत के राजपत्र के भाग खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाय।

मनीश बहल, सचिव
सीमा पथ विकास बोर्ड

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत् विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 1977

संकल्प

सं० बिजली तीन-5(7)/77—भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के समय-समय पर यथा संशोधित संकल्प सं० ई० एल०-तीन-II (4)/71, दिनांक 16 मई, 1972 में आंशिक संशोधन करते हुए सलाल जल-विद्युत परियोजना की विभिन्न संरचनाओं के अभिकल्प और निर्माण से संबंधित समस्याओं पर केन्द्रीय जल-विद्युत परियोजना नियन्त्रण बोर्ड को सलाह देने के लिये तकनीकी सलाहकार समिति को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे —

(1) डा० एम० आर० चोपड़ा, एन 40, पंचशील पार्क, नई दिल्ली- 110017 — अध्यक्ष

(2) श्री वाई० के० मूर्ति, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, सिंचाई विभाग, नई दिल्ली — उपाध्यक्ष

(3)	श्री के० एस० सुब्रह्मण्यम, अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली ।	सदस्य
(4)	श्री एन० जी० के० मूर्ति, फ्लैट न० 13, वसन्त महल, 'सी०' रोड, मैरीन ड्राइव, बम्बई- 400020	सदस्य
(5)	श्री पी० एम० माने, सलाहकार, इंजीनियर, रामालयम, पेदुवर रोड, बम्बई-400025	सदस्य
(6)	महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	सदस्य
(7)	श्री आर० एस० गिल सेवा निवृत्त विद्युत विकास कमीश्नर, जम्मू और कश्मीर सरकार	सदस्य
(8)	सदस्य (अभिकल्प और अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।	सदस्य
(9)	मुख्य इंजीनियर, सलाल जल विद्युत परियोजना, (जम्मू और कश्मीर)	सदस्य
(10)	अधीक्षण इंजीनियर, सलाल जल विद्युत परियोजना, (जम्मू और कश्मीर)	सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प प्रधानमंत्री के कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, भारत सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों, भारत के नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक तथा योजना आयोग को भेजा जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अरुण भटनागर, उप सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर, 1977

संकल्प

सं० ई० आर० बी०-1/77-21/70—माल गाड़ियों द्वारा माल के परिवहन सम्बन्धी दरों के संरचना की सभी पहलुओं से 1955—57 में एक समिति द्वारा, पुनरीक्षा की गयी थी । यात्री किरायों अथवा अन्य कोचिंग यातायात (जैसे पार्सल और माल यातायात) की दरों एवं डाक तथा सैनिक यातायात के प्रभारों के सम्बन्ध में कभी किसी स्वतंत्र निकाय द्वारा कोई विस्तृत जांच नहीं की गयी है ।

2 माल गाड़ियों द्वारा माल के परिवहन सम्बन्धी दरों की वर्तमान संरचना, भाड़ा संरचना जांच समिति (1955—57) की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गयी है । तब से अब तक की दो दशाब्दियों के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में अनेक व्यापक परिवर्तन हो चुके हैं तथा आने वाले वर्षों के दौरान भी बड़े परिवर्तन होने की आशा है । इसलिए जनता की ओर से मांग की जाती रही है कि भाड़ा दर संरचना की नये सिरे से जांच की जाये । यह भी सुझाव दिया गया है कि बधाई (पैकिंग) सम्बन्धी शर्तों और माल की बुकिंग सुपुर्दगी तथा यातायात के लिए भुगतान से सम्बन्धित नियमों को, आधुनिक व्यापार पद्धति को ध्यान में रखते हुए, यथोचित रूप से संशोधित कर दिया जाये । यह भी आवश्यक है कि यात्री किरायों की संरचना, अन्य कोचिंग यातायात की दरों एवं डाक और सैनिक यातायात के प्रभारों का अध्ययन गहराई से किया जाये ।

3 पिछले कई वर्षों से रेलें प्रायः लम्बी दूरी तक माल की ढुलाई कर रही हैं और रियायती दरों पर होने जा रहे यात्री यातायात के अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है । हाल के वर्षों में तेज गति से हुई मुद्रास्फीति का रेलों पर भी विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है । ऐसा रेलों के अत्यधिक श्रम-बहुल परिचालन के कारण हुआ है । इसके साथ ही, ऊर्जा एवं इस्तेमाल होने वाले अन्य सामानों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है । राजस्व की अपेक्षा मूल्यों में अधिक तीव्र गति से वृद्धि हुई है, रेलों की कुल संचित देयता 461.99 करोड़ रुपये (31-3-77 को) है । यह धन-राशि अनिवार्य, किन्तु ऐसे अलाभप्रद निर्माण-कार्यों पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए पिछले वर्षों के दौरान उधार ली गयी थी, जिन पर खर्च लाभांश (पूंजी पर ब्याज) के भुगतान के बाद अच्छे राजस्व अधिशेष से करना अपेक्षित है और कुछ वर्षों में तो यह धनराशि लाभांश सम्बन्धी अनिवार्य देयताओं को वहन करने के लिए भी उधार ली गयी थी ।

4 लोक लेखा समिति ने यह अभिमत व्यक्त किया कि "रेलों द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं की लागत की तुलना में दर-सूची सम्बन्धी नीति को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है" और उक्त समिति ने सिफारिश की कि "लागत जमा लाभ के आधार पर किरायों और भाड़ों की पुनर्संरचना का प्रश्न मुकम्मिल जांच के लिए विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया जाये" और साथ ही यह कहा कि "जब तक इस प्रश्न की बारीकी से जांच नहीं की जाती और वर्तमान किराया और भाड़ा संरचनाओं को वैज्ञानिक आधार पर तर्कसंगत बनाने के सम्बन्ध में अर्थपूर्ण विनिश्चय नहीं कर लिये जाते, तब तक जो बुराइयां रेलों को घेरे हुए हैं, वे उनके लिए कष्टदायक बनी रहेंगी" । रेलवे अभिसमय समिति ने भी इस बात पर बल दिया है कि यातायात लागत अध्ययन के आधार पर किराया और भाड़ा संरचना को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है, ताकि प्रभारों को गत कई वर्षों की लागत के निकटतर सानिध्य में लाया जा सके ।

5 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बजट पर बहस के दौरान रेल मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार, भारत सरकार ने रेल दर-सूची जांच समिति नियुक्त करने का विनिश्चय किया है जो किरायों, दरों और सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी अन्य प्रभारों की संरचना एवं डाक घरों और सैनिक यातायात एवं अन्य गौण तथा आनुषंगिक मामलों की व्यापक जांच करेगी और उनमें संशोधन के लिए सिफारिशें करेगी । अन्य सम्बद्ध बातों के अलावा, समिति रेलों की परिचालनिक कुशलता में सुधार सम्बन्धी उपाय लागू करने की आवश्यकता को ध्यान में रखेगी, क्योंकि "लागत पर लाभ" मात्र दृष्टिकोण के फलस्वरूप बेहद ऊंचे-भाड़े और किराया संरचना से अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ सकता है । इससे सम्बन्धित व्यक्तियों को यह अवसर दिया जायगा कि वे अपने विचार समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।

6 समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

डाक्टर एच० के० पराजपे	अध्यक्ष
श्री के० टी० मोरवन्वाला	सदस्य
श्री वी० के० स्थाणुनाथन	सदस्य

7. समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय होंगे :—

(क) सवारी गाड़ियों और/या माल गाड़ियों द्वारा होने जाने वाले सार्वजनिक यातायात के लिए किराया संरचना, दरों और अन्य प्रभारों के सभी पहलुओं की जांच करना और गौण

एव आनुषगिक मामलो जैसे बंधाई (पैकिंग) सम्बन्धी शर्तों, याताायात की बुकिंग और सुपुर्दगी और उसके लिए भुगतान, के सम्बन्ध मे विचार करना ,

(ख) सवारी गाड़ियो और/या माल गाडियो द्वारा ढोये जाने वाले डाक और सैनिक यातायात के लिए किराया सरचना, दरो और अन्य प्रभारो एवं गौण तथा आनुषगिक के मामलो सम्बन्ध में विचार करना ,

(ग) रेल मत्रालय द्वारा समिति को प्रस्तुत इसी प्रकार के सम्बद्ध मामलों पर विचार करना ; और

(घ) अन्य सम्बद्ध बातों पर विचार के अलावा, आम आदमी के हितो, विकासशील अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओ, रेलों को वित्तीय दृष्टि से सक्षम बनाने के महत्व और बढ़ी हुई परिचालन कुशलता की संभावना को ध्यान मे रखते हुए जो आशोधन किये जाने चाहिएं, उनकी सिफारिश करना ;

(ङ) भारतीय रेलो पर किराया और भाड़ा संरचना को सर्वसगत और सरल बनाने से सम्बन्धित अन्य मामले तथा कोई अन्य आनुषंगिक मामले ।

8 समिति वर्ष की अवधि मे अपनी रिपोर्ट दे देगी । यदि आवश्यक समझेगी और यदि सरकार चाहेगी तो समिति अन्तरिम रिपोर्ट भी दे सकती है ।

बी० मोहन्ती, सचिव, रेलवे बोर्ड एव पदेन संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 17 सितम्बर, 1977

सकल्प

सं० क्यू-11018/21/76-पी० एच० ई—इस मत्रालय के दिनांक 22 जून, 1977 के समसख्यक सकल्प मे, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी के नगरो मे जल पूर्ति के लिए बृहत योजना तैयार करने हेतु मार्ग निर्देशन बनाने की समिति की अवधि 27 अगस्त, 1977 तक बढाई थी, के अनुक्रम में भारत सरकार ने समिति की अवधि 30 सितम्बर, 1977 तक और बढ़ाने का निर्णय किया है और समिति को उक्त तारीख तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर देनी चाहिए ।

आदेश

(1) आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक प्रतिलिपि सभी संबधित को भेजी जाए ।

(2) आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए

मीर नसरुल्लाह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 30th September 1977

ORDER

No. 27/8/77-CL.II.—In pursuance of clause (li) of sub-section (I) of section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises Shri Ram Singh, Senior Technical Assistant, in the office of the Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh, Jullundur, for the purposes of the said section, 209A.

N. L. PILLAY, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

(BANKINK DIVISION)

New Delhi, the 29th September 1977

No. 10(2)-B. O. III/77.—In continuation of the Government of India, Department of Revenue & Banking (Banking Wing) Notification No 10(2)-B O.III/77 dated the 21st June, 1977 Government are pleased to extend further the tenure of the One-man Committee (Banking Laws Committee) till 31st December, 1977.

J. C. RAY, Director.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

New Delhi, the 1st October 1977

RESOLUTION

No. 55(17)/69-Ferts.II.—The Resolution of Government of India in the Ministry of Petroleum & Chemicals No. 55 (17)/69-Ferts.II dated 3.6.72 is hereby withdrawn. Consequently, item (ii), of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Mines & Metals, dated the 5th August, 1969, and published at page 627 of the Gazette of India, Part I, Section 1 of the 23rd August, 1969 shall stand restored.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India.

S M. KELKAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 8th September 1977

RESOLUTION

No. 21/2/73-CDN.—With a view to focus larger public attention on the problem of import substitution and to afford adequate incentives and public recognition to individuals and institutions bringing forward partical ideas and schemes for replacing imported materials by indigenous substitutes, a Board of Awards on Import Substitution was constituted *vide* Resolution No. 5/2/66-Ind Coord. dated 12.9.1966. The Board was reconstituted *vide* Resolution No. 21/2/73-DCN, dated 11-7-74 with a Chairman and eleven other members.

Consequent upon the retirement of two of its members viz. Shri A. P. V. Krishnan and Major General K. K. Mehta and transfer of Shri S. K. Sahgal, the following persons are appointed members of the Board constituted *vide* Resolution No. 21/2/73-CDN, dated 11-7-74, in the places of out going members mentioned above :—

1. Shri N. Rajan,
   Joint Secretary & F. A.,
   Deptt. of Industrial Development,
   New Delhi.
2. Shri G. N. Mehra,
   Joint Secaretry,
   Deptt. of Industrial Development,
   New Delhi.
3. Major General S. G. Payara,
   Chief Controller of R & D,
   Defence R & D. Organisation,
   Ministry of Defence,
   New Delhi.

ORDER

1 Ordered that a copy of the resolution be communicated to all concerned.

2 Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India

P. C. NAYAK, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 15th September 1977

RESOLUTION

No. N. 11014/4/77-Stcr —1 In supersession of the Ministry of Health & Family Welfare (Department of Family Welfare) Resolution No N. 13023/13/74-IUD, dated the 21st July, 1975, the Govt of India has decided to reconstitute the Committee to advise Govt on all technical problems connected with Family Welfare Programme in the field.

2. The composition of the reconstituted committee shall be as follows:—

Chairman

1 Addl. Secretary & Commissioner (Family Welfare)

Members

2. Director General of Health Services

3. Director, National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi.

4. Director General, Indian Council of Medical Research, New Delhi

5. President, Federation of Obstetrics & Gynaecological Society of India or her representative

6 President, Surgeons Association of India or his representative

7 President, Indian Medical Association or his representative.

8. President, All India Paediatries Association or his representative

9. Dr. R. P. Sonawalla, Nowrosjee Wadia Maternity Hospital, Acharya Donde Marg, Parel, Bombay-400012

10. Dr. Sussan George, Prof of Obstetrics & Gynae, Medical College, Trivandrum.

11 Dr. P K. Devi, Prof of Gynaecology, P G.I., Chandigarh.

12. Dr. V. N. Shrikhande, Narayan Mansion. 166 A, Dr Ambedkar Road, Dadar, Bombay-400014.

13. Dr Jamshed N. Pohowalia, Emeritus, Prof. of Paediatrics, Medical College, Indore (M.P.).

14. Dr. S N. Gupta, Special Secretary, Health Department, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.

15. Dr P. R. Sondhi, Director of Health Services, Govt. of Haryana, Chandigarh.

16. Dr. Diwan Harish Chand, 1, Hanuman Road, New Delhi.

17. Dr Jugal Kishore, Adviser (Homeo), Ministry of Health & Family Welfare.

18. Dr. K N. Udupa, Director, Institute of Medical Sciences, B. H. U., Varanasi.

19. Pt Shiv Sharma, President, Central Council of Indian Medicine, Baharasthan Bomanji Petit Road, Kambala Hills, Bombay-400036.

Member-Secretary

20 Deputy Commissioner (T.O.).

3. The terms of reference of the Committee shall be to consider and advise Government on all problems including administrative, organisational and technical aspects connected with Family Welfare Programme in the field with particular reference to IUD and Sterilization procedures, M.T.P. and oral contraceptives

4 The Committed shall have power to co-opt/invite experts of the concerned aspects of the programme to attend its meetings.

5. The life of the Committee shall be two years.

6 Non-official members of the Committee shall be entitled to the grant of travelling and daily allowances for attending the meetings of the committee at the rates admissible to an officer of the highest grade in Class I of the Central Services. Members of the Committee who are Government servants will draw travelling and daily allowances as admissible to them from the same source from which they get their pay.

7 The expenditure involved is to be met from within the sanctioned budget grant under Demand No 50-Family Welfare, Major Head 281 A-Family Welfare, A-1 Direction & Administration, A-1(1) Technical Wing at Headquarters, A-1(1)(3) Travel Expenses 1977-78

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for General Information.

SERLA GREWAL
Addl. Secy & Commissioner (FW)

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 24th September 1977

No. 22-17/77-LD.I.—In exercise of the powers conferred by Article 2 (a) of the Rules and Regulations of the National Dairy Development Board, the Government of India have decided to reconstitute, with immediate effect, the National Dairy Development Board, as follows —

(i) Dr. V. Kurien, Chairman, National Dairy Development Board, Anand — Chairman

(ii) Shri A. K Ray Chaudhuri, Managing Director, Indian Dairy Corporation, Baroda. — Member

(iii) Shri G. M. Jhala, Secretary, National Dairy Development Board, Anand. — Member

(iv) Mrs Anna R. Malhotra, Additional Secretary (AF), Department of Agriculture, New Delhi — Member

(v) Shri U. Vaidyanathan, Financial Adviser, Department of Agriculture, New Delhi — Member

(vi) Shri H. M. Dalaya, General Manager, Kaira District Cooperative Milk Producers' Union, Anand — Member

(vii) Shri V. H. Shah, Deputy General Manager, Kaira District Cooperative Milk Producers' Union, Anand. — Member

(viii) Dr. B. K. Soni, Deputy Director General, Indian Council of Agricultural Research. New Delhi. — Member

2 The term of the Board will be for two years or until further orders, whichever is earlier

3. This supersedes this Department's Notification of even number dated 1st September, 1977

No. 22-17/77-LD.I.—In exercise of the powers conferred to Article 15(2) of the Articles of Association of Indian Dairy Corporation Limited, the President is pleased to reconstitute, with immediate effect, the Board of Directors of the Indian Dairy Corporation Limited, as follows .—

(i) Dr. V Kurien, Chairman, Indian Dairy Corporation. Baroda. — Chairman

(ii) Shri A K. Ray Chaudhuri, Managing Director, Indian Dairy Corporation, Baroda — Director

(iii) Shri G M. Jhala, Secretary, National Dairy Development Board, Anand — Director

(iv) Mrs. Anna R Malhotra, Additional Secretary (AF), Department of Agriculture, New Delhi. — Director

(v) Shri U. Vaidyanathan, Financial Adviser, Department of Agriculture, New Delhi, — Director

(vi) Shri H M Dalaya, General Manager, Kaira District Cooperative Milk Producers' Union, Anand. — Director

(vii) Shri V H. Shah, Deputy General Manager, Kaira District Cooperative Milk Producers' Union, Anand — Director

(viii) Dr. B K. Soni, Deputy Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi. — Director

2 The term of the Board will be for two years or until further orders, whichever is earlier.

3 This supersedes this Department's Notification of even number dated 1st September, 1977.

R. C. SOOD, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 28th September 1977

No. F 12-9/77/Plg.II.—The Government of India have nominated Shri R. K. Patil, Sarva Seva Sangh, Civil Lines, Nagpur, as member of the Indian Council of Social Science Research His term of membership will expire on 31st March, 1980.

D. SENGUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(BORDER ROADS DEVELOPMENT BOARD)

New Delhi, the 25th August 1977

RESOLUTION

No F 194(2)/BRDB/BWA/Economy/77/PC.—The Border Roads Organisation has been functioning for about 17 years. During this period, it has constructed over 6,000 KMs of new roads and improved over 2,000 KMs of existing roads It is, therefore, necessary to undertake a thorough review of the working of this Organisation and to consider any organisational and/or structural changes as well as improvement in its techniques that may be necessary to equip this Organisation to function more effectively and efficiently. Time has also come to consider the question of the Border Raods Organisation diversifying its activities Side by side, in the context of the need for economy, it is also essential to examine the steps that are necessary to minimise the cost of construction and maintenance of roads by the Border Roads Organisation. It has, therefore, been decided that a thorough examination of these questions should be undertaken by a Committee constituted, as indicated below, who would suggest measures to be taken by the Organisation for reducing cost, increasing efficiently and equipping itself to undertake other civil works at competitive rates.

1. Shri J. S Marya, Director General (Roads Development) & Additional Secretary, Ministry of Shipping and Transport. — Chairman

2. Shri B. K Banerjee, Additional Financial Adviser (B), Ministry of Finance (Defence). — Member

3 Major General J. S Soin, Director General Border Roads — Member

4. Shri Mahabir Prasad, Chief Engineer, Public Works Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow — Member

5 Shri A. Nagabhushana Rou, Deputy General Manager (AIO), Hindustan Construction Co. Ltd., Bombay. — Member

6. Shri Manish Bahl, Secretary, Border Roads Development Board. — Member

Shri A. K Agarwal, Deputy Secretary, Border Roads Development Board, will be the Secretary of the Committee

TERMS OF REFERENCE

The Committee will examine and report on the following points :—

(i) The working of the Baroda Roads Organisation indicate the changes, structural and organisational and the technical improvements necessary to enable it to discharge its duties more efficiently

(ii) The extent to which the measures—short-term and long-term—recommended by the Committee on Cost of Construction and Maintenance of Roads set up in 1970-71 for effecting economy and reducing cost of construction have been implemented; to assess their impact, and to suggest further measures for reducing the cost of construction and maintenance with particular reference to resources management, inventory control, equipment utilisation and maintenance and administrative expenditure

(iii) The possibility of Border Roads Organisation diversifying its activities to custom works in the field of Civil Engineering and recommend the steps necessary to equip it to execute these works on rates comparable with other agencies engaged in similar works

The Committee shall have the powers to co-opt additional Members if it so considers necessary

The Headquarters of the Committee will be at New Delhi but it may visit such places as may be necessary in connection with its work.

The Committee will commence work immediately and submit its report within six months.

ORDER

ORDERED that resolution be published in the Gazette of India, Part I—Section 1

MANISH BAHL, Secy
Border Roads Development Board

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 28th September 1977

No. EL III-5(7)/77 —In partial modification of the erstwhile Ministry of Irrigation and Power's Resoluation No EL.III-11(34)/71, dated the 16th May, 1972, as amended from time to time, it has been decided to reconstitute the Technical Advisory Committee to advise the Central Hydro Electric Projects Control Board on the problems pertaining to the design and construction of the various structures of the Salal Hydro-Electric Project, to consist of the following :—

1. Dr. M R. Chopra, N-40, Panch Shila Park, New Delhi-110017. — Chairman

2. Shri Y. K. Murthy, Chairman, Central Water Commission, Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Irrigation, New Delhi	—	Vice-Chairman
3. Shri K. S. Subrahmanyam, Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi	—	Member
4 Shri N G K Murti, Flat No. 13, Vasant Mahal, 'C-Road', Marine Drive, Bombay-400 020.	—	Member
5. Shri P. M. Mane, Consulting Engineer, Ramalayam, Peddar Road, Bombay-400 025.	—	Member
6. Director-General, Geological Survey of India.	—	Member
7. Shri R S Gill, Retd Commissioner for Power, Development, Jammu & Kashmir Government	—	Member
8. Member (D & R), Central Water Commission, New Delhi.	—	Member
9 Chief Engineer, Salal Hydro Electric Project, (Jammu & Kashmir).	—	Member
10 Superintending Engineer, Salal Hydro Electric Project, (Jammu & Kashmir)	—	Secretary

ORDER

Ordered that the above Resolution be communicated to the Prime Minister's Office, the Cabinet Secretariat. The Secretary to the President, all the Departments/Ministries of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India and the Planning Commission.

Ordered also that the above Resolution be published in the Gazette of India.

ARUN BHATNAGAR
Dy Secy

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 19th September 1977

RESOLUTION

No. ERB-1/77/21/70.—The structure of rates for transport by goods trains was reviewed in all its aspects by a Committee in 1955-57 No thorough-going enquiry has ever been made by an independent body in respect of passenger fares or the rates for other coaching traffic (such as parcels and luggage) as also charges for post office mails and military traffic

2. The existing structure of rates for transport by goods trains has evolved out of the recommendations of the Freight Structure Enquiry Committee (1955-57) Many far-reaching changes have taken place in the country's economy in the two decades which have elapsed since and big changes are envisaged in the years to come and, therefore, there has been public demand for a fresh examination of the freight rate structure It has also been suggested that packing conditions and the rules governing the booking, delivery of, and payment for, traffic should be modified suitably in the light of modern business practice. It is also necessary that in-depth study should be made of the structure of passenger fares, rates for other coaching traffic, as also charges made for post office mails and military traffic.

3. Over the years the railways have increasingly become bulk carriers of goods over longer distances and the proportion of passenger traffic carried at concessional fares has been progressively increasing. The rapid inflation of recent years has also particularly affected the railways because of their highly labour intensive operations and there has been sharp escalations in the cost of energy and other materials used. Costs have risen faster than revenues, the railways have an accumulated liability of Rs. 461.99 crores (as on 31-3-77) borrowed over the years to meet the cost of essential but unremunerative work which are required to be financed from revenue surplus after payment of dividend (interest on capital) and in some years even to discharge the obligatory dividend liability.

4. The Public Accounts Committee observed that there is need for rationalisation of the tariff policy vis-a-vis the cost of services provided by the Railways", and recommended that "the question of restructuring of freights and fares on the basis of cost plus profit may be remitted to an Expert Committee for a thorough examination", adding that "unless this question is examined in detail and meaningful decisions are taken to rationalise the existing freight and fare structures on a scientific basis, the ills that beset the Railways will continue to plague them". The Railway Convention Committee have also emphasised the need for rationalising the freight and fare structure on the basis of traffic costing studies bringing charges in closer alignment with costs over the years

5. In view of the foregoing, as announced by the Railway Minister during the Budget discussions, the Government of India have decided to appoint a Rail Tariff Enquiry Committee to make a comprehensive examination of the structure of fares, rates and other charges for public traffic as also for post offices and military traffic, and other ancillary and incidental matters, and to make recommendations for their modification. The Committee will bear in mind, among other relevant considerations, the necessity for enforcing measures to improve operational efficiency of the Railways since the "cost plus" approach alone may lead to the economy being over-burdened with an excessively high freight and fare structure. The interests concerned will be given an opportunity to present their points of view to the Committee.

6 The Committee will consist of the following :—

Dr H. K. Pranjape	Chairman
Shri K. T. Mirchandani	Member
Shri V. K. Sthanunathan	Member

7. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(a) To examine the structure of fares, rates and other charges for public traffic carried by passenger trains and/or goods trains, in all its aspects, and ancillary and incidental matters such as packing conditions and booking and delivery of, and payment for, traffic;

(b) To examine the structure of fares, rates and other charges for post office mails and military traffic carried by passenger trains and/or goods trains, as also ancillary and incidental matters;

(c) To examine any other cognate matters that may be referred to the Committee by the Ministry of Railways;

(d) To recommend the modifications which should be made bearing in mind, among other relevant considerations, the interests of the common man, the requirements of developing economy, and the importance of making the railways financially viable and the possibility of increased operating efficiency; and

(e) Any other matters connected with the rationalisation and simplification of the freight and fare structure on the Indian Railways and any other incidental matters relating thereto.

8. The Committee will submit its report within a period of two years. It may also submit interim reports as may be considered necessary and as desired by the Government

B. MOHANTY
Secretary, Railway Board &
ex-officio Joint Secretary

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 17th September 1977

No. Q 11018/21/76-PHE.—In continuation of this Ministry's resolution of even number dated the 22nd June, 1977 extending the terms of the Committee to prepare the guidelines for preparation of Master Plan for water supply in the towns of National Capital Region, upto 27th August, 1977, the Government of India have decided to extend further the life of the committee upto 30th September, 1977 by which date the Committee should submit its report to the Government.

ORDER

1 Ordered that a copy of the resolution be communicated to all concerned.

2 Ordered that the resolution be published in the Gazette of India.

MIR NASRULLAH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977